कार्यालय प्राचार्य,शासकीय शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय,चारामा

जिला– उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

AISHE Code: C-24958 College Code: 2105

E-Mail:gccharama1989@gmail.com Website :www.govtcollegecharama.in

क्रमांक 189 / स्था / 2022 चारामा,दिनांकः 06 / 08 / 2022

संशोधित अंतिम तिथि

/ /प्रथम अस्थायी प्रवेश सूची / /

बी.एस.सी–प्रथम वर्ष (गणित / बायोलॉजी)

समस्त नवप्रवेशी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बी.एस.सी– प्रथम वर्ष (गणित / बायोलॉजी) में प्रवेश हेतु उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन के नियमानुसार मेरिट तैयार कर प्रथम अस्थायी प्रवेश सूची दिनांक : 30 / 07 / 2022 को जारी किया गया था एवं इस सूची में सम्मिलित विद्यार्थियों को दिनांक : 06 अगस्त, 2022 ,समय :दोपहर 02.00 बजे तक प्रवेश प्राप्त करना था।

उक्त अंतिम तिथि को संशोधित करते हुए दिनांक : 12 अगस्त, 2022, समय : दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात् जारी मेरिट सूची स्वतः निरस्त हो जाएगी और किसी भी प्रकार की दावेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी।

कोविड–19 संक्रमण के कारण महाविद्यालय कैम्पस में मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है,अन्यथा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।सूची मे सम्मिलित विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रवेश (प्रवेश कक्ष) में निषेध है।

आवश्यक दस्तावेजों की स्वंय–सत्यापित छायाप्रति

(1) ऑनलाईन प्रवेश आवेदन की हार्ड कॉपी।
(2) ऑनलाईन प्रवेश पंजीयन शुल्क रसीद ।
(3) 10 की अंकसूची की स्वंय सत्यापित छायाप्रति।
(4) 12 की अंकसूची की स्वंय सत्यापित छायाप्रति।
(5) मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित छायाप्रति।
(6) जाति प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित छायाप्रति।
(7) आधार कार्ड की स्वंय सत्यापित छायाप्रति।
(8) 02 पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटोग्राफ्स

आवश्यक मूल (ओरिजनल) दस्तावेज

(1) मूल (ओरिजनल) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी)।

(2) मूल (ओरिजनल) चरित्र प्रमाण पत्र ।

(3) ऑनलाईन एंटी–रैगिंग शपथ पत्र की मूल प्रति (ओरिजनल) जिसमें विद्यार्थी और अभिभावक का हस्ताक्षर हो।

(4) गैप हो तो नोटरी द्वारा जारी मूल (ओरिजनल) गैप शपथ पत्र।

(5) माईग्रेसन प्रमाण पत्र।

नोट : (1) प्रवेश के समय उपर्युक्त वांछित दस्तावेज ''प्रवेश आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी'' के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी।

(2) निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात् ही विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश माना जायेगा।

(3) जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझ कर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य का होगा।

(4) प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

प्रवेश प्रभारी

Principal
प्राचार्य
Govt. Shaheed [illegible] Singh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)